राजस्थान सरकार
रोजगार सेवा निदेशालय
दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर
दूरभाष नंबर 2368850, 2373675, फैक्स नंबर 2362661

निजी रोजगार एजेन्सी के पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र

1. एजेन्सी का नाम
2. पूरा पता
3. दूरभाष नंबर
4. फैक्स नबंर
5. ई–मेल
6. **एजेन्सी की प्रकृति**
   प्रोपराईटर
   पार्टनर
   कम्पनी
   रजिस्टर्ड सोसायटी
7. स्थापना का वर्ष
8. **एजेन्सी के अधिकृत प्रतिनिधि**
   नाम
   पता
   दूरभाष नंबर
   ई–मेल
   फैक्स नबंर
9. एजेन्सी यदि किसी विशेष क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करताी है, तो उसका विवरण
10. शुल्क जमा कराने की रसीद संख्या एवं दिनांक

दिनांकः

नाम एवं हस्ताक्षर अधिकृति प्रतिनिधि

निजी रोजगार एजेन्सी के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र (इनके अभाव में पंजीयन किया जाना संभव नहीं होगा)

1. संचालक/अधिकृत प्रतिनिधि की दो पासपोर्ट साईज नवीनतम हस्ताक्षरयुक्त फोटो।
2. मतदाता पहचान पत्र
3. मूल निवास प्रमाण पत्र
4. केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग के पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति।
5. संबंधित जिला रोजगार अधिकारी का अनुशंसा पत्र (कि उक्त एजेन्सी का पंजीयन कर दिया जाये)
6. रूपये 5000/– का पंजीयन शुल्क निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय जयपुर के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट
7. जिला रोजगार अधिकारी के माध्यम से कराये गये पुलिस वेरीफिकशन प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

राजस्थान सरकार
रोजगार सेवा निदेशालय
दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर

रोजगार एजेन्सी के संचालन हेतु दिशा निर्देश

1–वे सभी संस्थान जो राज्य में मानव संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य करते है उन्हें रोजगार विभाग में पंजीकरण कराना होगा। इसके अन्तर्गत वे संस्थाये सम्मिलित नहीं है, जो ठेका श्रम अधिनियम– 1970 एवं केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियमन, विनियमन एवं सेवा की शर्ते) अधिनियम–1979 के अन्तर्गत पंजीकृत है।
2–निजी रोजगार एजेन्सी के पंजीकरण के लिये दो वर्ष हेतु शुल्क 5000/– रूपये तथा नवीनीकरण का शुल्क 1000/– रूपये प्रतिवर्ष होगा। निजी रोजगार एजेन्सिया पंजीकरण समयावधि समाप्त होने से पूर्व अथवा उसके एक माह पश्चात तक ही अपना नवीनीकरण करवा सकेंगी अन्यथा उनका पंजीयन निरस्त समझा जावेगा।
3–ये एजेन्सियां सामान्यतः नियमित प्रकृति का रोजगार उपलब्ध करायेगी।
4– रोजगार एजेन्सी बेरोजगारों के पंजीकरण हेतु 100/– रूपये तक राशि वसूल कर सकेगी तथा रोजगार उपलब्ध कराने पर उनके द्वारा ली जाने वाली प्रथम एक माह के वेतन की राशि से अधिक नही होगी।
5– प्लेसमेंट एजेन्सी किसी अवैधानिक,गैरकानूनी एवं अनैतिक गतिविधी के लिये रोजगार प्रदान नही करेगी यदि ऐसा पाया गया तो तुरन्त पंजीयन रद्द कर दिया गया है।
6– नियोजक से लिया जाने वाला सेवा शुल्क निजी रोजगार एजेन्सी एवं नियोक्ता के मध्य आपसी सहमति के आधार पर तय किया जा सकेगा लेकिन इसका प्रभाव नियोजित होने वाले आशार्थी पर नहीं पड़ना चाहिये।
7–रोजगार विभाग एवं निजी रोजगार एजेन्सियों के मध्य निरन्तर संवाद स्थापित करने के लिय सहायक निदेशक/जिला रोजगार अधिकारी बैठक आयोजित करेगें।
8–पंजीकृत एजेन्सियों द्वारा नियमित रूप से बेराजगारों को रोजगार प्रदान करने के संबंध मे सांख्यिकीय सूचनायें रोजगार विभाग को निर्धारित प्रपत्र में समयानुसार उपलब्ध कराई जायेगी।
9–यदि निजी रोजगार एजेन्सी केन्द्र/राज्य सरकार/रोजगार विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अवहेलना करती पायी जाती है तो उनका पंजीयन रद्द कर दिया जायेगा ।
10–यदि कोई एजेन्सी अपना शाखा कार्यालय खोलना चाहती है तो उस पर भी नये पंजीयन की संपूर्ण पंजीयन प्रक्रिया लागू होगी।
11–पंजीकृत निजी रोजगार एजेन्सी राज्य के समस्त, किसी भी रोजगार कार्यालय से बेराजगार आशार्थियों को चयन कर सकती है परन्तु बेरोजगारों के पंजीयन हेतु शिविर सिर्फ उसी जिले में लगा सकती है जहॉ वे पंजीकृत है।
12–एजेन्सी का पंजीयन होने के पश्चात पंजीयन शुल्क लौटाया नहीं जावेगा।
13–किन्ही विशेष परिस्थिति के कारण यदि कोई एजेन्सी बंद होती है तो उसका दायित्व है कि वह रोजगार सेवा निदेशालय को तुरन्त सूचित करे।
14–पंजीकृत निजी रोजगार एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके माध्यम से लगाये गये आशार्थियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम –1948 के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम का भुगतान न हो यदि न्यूनतम वेतन का भुगतान नही किया जा रहा है तो एजेन्सी तुरन्त श्रम विभाग एवं इस विभाग को सूचित करेगी जिससे नियमानुसार ऐसे संस्थानों के विरूद्व कार्यवाही की जा सके।
15– दिशा निर्देशों के सभी बिन्दुओं को 1000/– रूपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा जो नोटेरी पब्लिक से अनुप्रमाणित हो।
16– नवीनीकरण के सभी आवेदन संबधित रोजगार कार्यालय के माध्यम से निदेशालय को प्रेषित किया जावे।

अनुबन्ध –पत्र

यह अनुबन्ध बाबत निजी रोजगार एजेन्सी के संचालन हेतु श्री–––––––––––––––––––
(नाम एवं पता –मय संस्था का नाम , पता)
(प्रथम पक्ष) एवं निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय, जयपुर (द्वितीय पक्ष) के मध्य आज दिनांक ––––––––––––––––––––– को निम्नांकित शर्तो के तहत किया गया :–

1– यह कि ––––––––––––––– (संस्था का नाम भरे) जो राज्य में मानव संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य करती है उन्हे रोजगार विभाग में पंजीयन करायेगी। ''––––––––––––––––––––– (संस्था का नाम भरे) ठेका श्रम अधिनियम 1970 एवं केन्द्रीय अन्तर्राज्य प्रवासी कर्मकार (नियमन विनियमन एवं सेवा की शर्ते) अधिनियम 1979 के अन्तर्गत पंजीकृत नही है।

2– यह कि––––––––––––––––––– (संस्था का नाम भरे) निजी रोजगार ऐजेन्सी के लिये दौ वर्ष का शुल्क पांच हजार रूपये तथा नवीनीकरण शुल्क एक हजार रूपये प्रतिवर्ष होगा। निजी रोजगार –––––––––––––– (संस्था का नाम भरे) संस्था पंजीकरण समयावधि समाप्त हाने से पूर्व अथवा उसके एक माह पश्चात तक ही अपना नवीनीकरण करवा लेगी अन्यथा पंजीयन निरस्त समझा जावेगा।

3– यह कि ––––––––––––––––––– (संस्था का नाम भरे) सामान्यतः नियमित प्रकृति का रोजगार उपलब्ध करायेगी।

4– यह कि निजी रोजगार एजेन्सी ––––––––––––––––––(संस्था का नाम भरे) बेरोजगारो के पंजीकरण हेतु सौ रूपये की राशि वसूल कर सकेगी तथा रोजगार उपलब्ध कराने पर ––––––––––––––– (संस्था का नाम भरे) द्वारा ली जाने वाली प्रथम एक माह कें वेतन से अधिक की राशि नही होगी।

5– यह कि निजी रोजगार एजेन्सी –––––––––––––––––––––––(संस्था का नाम भरे) किसी अवैधानिक गैर कानूनी एवं अनैतिक गतिविधियो के लिये रोजगार प्रदान नही करवावेगी। यदि ऐसा पाया गया तो तुरन्त पंजीयन रदद कर दिया जायेगा।

6– यह कि ––––––––––––––––––– (संस्था का नाम भरे) द्वारा नियोजक से लिया जाने वाला सेवा शुल्क निजी रोजगार एजेन्सी –––––––––––––––––––– (संस्था का नाम भरे) एवं नियोक्ता के मध्य आपसी सहमति के आधार पर तय किया जा सकेगा लेकिन इसका प्रभाव नियोजित होने वाले आशार्थी पर नही पडेगा।

7– यह कि रोजगार विभाग व –––––––––––––––––––––––––––––––– (संस्था का नाम भरे) के मध्य निरन्तर संवाद स्थापित करने के लिये सहायक निदेशक/जिला रोजगार अधिकारी की बैठक आयोजित करगे।

8– यह कि पंजीकृत –––––––––––––––––––(संस्था का नाम भरे) नियमित रूप से बेरोजगारो को रोजगार प्रदान करने के संबंध में साख्यिकीय सूचनाये रोजगार विभाग को निर्धारित प्रपत्र में समय पर ही उपलब्ध करायेगी।

9– यह कि यदि निजी रोजगार एजेन्सी–––––––––––––––––––––(संस्था का नाम भरे) राज्य सरकार/ रोजगार विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देशो की अवहेलना करती पाई जाती है तो पंजीयन रदद कर लिया जावेगा।

10– यह कि यदि रोजगार एजेन्सी––––––––––––––––––––––––(संस्था का नाम भरे) अपना शाखा कार्यालय खोलना चाहती है तो कार्यालय खोलने से पूर्व उस पर भी नये पंजीयन की सम्पूर्ण प्रकिया पूर्ण करवा लेगी।

11– यह कि यदि रोजगार एजेन्सी ––––––––––––––––––––(संस्था का नाम भरे) राज्य के समस्त किसी भी रोजगार कार्यालय से बेरोजगार आशार्थियों का चयन कर सकेगी परन्तु बेरोजगारों के पंजीयन हेतु शिविर सिर्फ उसी जिले में लगायेगी जहां से वे पंजीकृत है।

12– यह कि निजी रोजगार एजेन्सी –––––––––––––––––––––––––––––––––(संस्था का नाम भरे) का पंजीयन होने के पश्चात पंजीयन शुल्क लौटाया नही जायेगा।

13– यह कि किन्ही विशेष परिस्थितियों के कारण यदि एजेन्सी –––––––––––––––––––––––(संस्था का नाम भरे) बंद होती है तो इसका दायित्व रहेगा कि प्रथम पक्ष निदेशालय को सूचित करेगा।

14– यह कि पंजीकृत निजी रोजगार एजेन्सी –––––––––––––––––––––––(संस्था का नाम भरे) यह सुनिश्चित करेगी कि उसके माध्यम से लगाये गये आशार्थियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम का भुगतान नही किया जावेगा। यदि न्यूनतम वेतन का भुगतान नही किया जा रहा है तो एजेन्सी ––––––––––––––––––(संस्था का नाम भरे) तुरन्त श्रम विभाग एवं द्वितीय पक्ष को सूचित करेगी। जिससे नियमानुसार संस्थान के विरूद्व कार्यवाही की जा सके।

15– यह कि नवीनीकरण के सभी आवेदन ––––––––––––––––––––––––(संस्था का नाम भरे) द्वारा संबंधित रोजगार कार्यालय के माध्यम से निदेशालय को प्रेषित करेगी।

16– किसी प्रकार का विवाद की परिस्थिति में निदेशक रोजगार सेवा निदेशालय का निर्णय अन्तिम होगा तथा न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

17– यह अनुबन्ध प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष ने आपस में आपसी सहमति से लिख दिया है और दोनो पक्ष उक्त अनुबन्ध से पाबन्द रहेगे।

दिनांकः

प्रथम पक्ष

(नाम एवं पता –मय संस्था का नाम ,)

द्वितीय पक्ष

निदेशक रोजगार सेवा निदेशालय,जयपुर

निजी रोजगार एजेन्सियों से अपेक्षित सांख्यिकी सूचना माह ------- वर्ष-------

क्र.सं.	विवरण	गत माह तक	वर्तमान माह में	योग
1	2	3	4	5
1	पंजीयन			
2	<u>**नियोजित आशार्थियों की संख्या**</u> (अ)–पुरूष (ब)–महिला			
3	<u>**नियोजित आशार्थियों की श्रेणी**</u> (अ)–अनुसूचित जाति (ब)–अनु जनजाति (स)–अन्य पिछडा वर्ग (द)–सामान्य वर्ग			
4	नियोजकों की संख्या जहॉ आशार्थी नियोजित हुये			
5	<u>**नियोजित आशार्थियों का वर्ग**</u> (अ)–प्रशासनिक (ब)–लिपिक (स)–तकनीकी (द)–अन्य			

6 अन्य सूचना जो आप देना चाहें:

7 सुझाव

हस्ताक्षर

प्रबंधक का नाम मय एजेन्सी की सील

राजस्थान सरकार
रोजगार सेवा निदेशालय
दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर

क्रमांकःप.7(15)ईएस/पीपीए/2004/ 4796–4847 दिनांकः 13–4–2004

समस्त रोजगार कार्यालयध्यक्ष, राजस्थान।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार रोजगार विभाग में निजी रोजगार एजेन्सीज का पंजीकरण करना प्रारंभ किया है। पंजीकृत रोजगार एजेन्सियों को विभाग द्वारा पंजीकरण संख्या दी जाती है। इस प्रकार पंजीकृत निजी रोजगार एजेन्सी रोजगार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त रोजगार एजेन्सीज की तरह कार्य करेंगी।

राज्य में अधिकाधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विभाग के रोजगार कार्यालयों एवं इन निजी रोजगार एजेन्सियों में समन्वय आवश्यक है। इसे सुनिश्चित करने के लिये निम्न दिशा निर्देश दिये जाते है।

1– यदि किसी निजी रोजगार एजेन्सी द्वारा रोजगार कार्यालयों से अभ्यार्थियो के नाम मांगे जाये तो उन्हें उनकी आवश्यकतानुसार उन्हें रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आशार्थियो के नाम उपलब्ध करा दिये जायें। इन व्यक्तियो को रोजगार प्रदान करने में निजी रोजगार संस्थायें अहम भूमिका निभा सकती है।

2– रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण के लिये मान्यता प्राप्त निजी रोजगार संस्थायें विभाग द्वारा निर्धारित प्रप़त्र एक्स–1 अपने स्तर पर मुद्रित करवाकर उसमें पंजीकरण हेतु अभ्यार्थियो ‍से प्रार्थना पत्र लेकर उसे रोजगार कार्यालयों में जमा कराने पर उसका पंजीकरण कर लिया जायेगा। वैसे भी डाक द्वारा पंजीकरण कराने की व्यवस्था वर्तमान में लागू है। इस प्रक्रिया से अधिकाधिक इच्छुक व्यक्ति बिना रोजगार कार्यालय आये अपना पंजीकरण करवा पायेगे।

वर्तमान में विभाग में पंजीकृत निजी रोजगार संस्थाओं की सूची संलग्न है।

ह0/–––
(राजेन्द्र भाणावत)
आयुक्त
श्रम एवं रोजगार विभाग

क्रमांकःप.7(15)ईएस/पीपीए/2004/ 4848–62 दिनांकः 13–4–2004

प्रतिलिपि सभी पंजीकृत निजी रोजगार एजेन्सिों को प्रेषित कर लेख है कि उनके द्वारा उपरोक्त वर्णित सेवायें प्रदान करने हेतु संबंधित अभ्यार्थियों से समुचित सेवा शुल्क उनके द्वारा निर्धारित दरो के आधार पर लिया जा सकेगा।

ह0/–––
सुयक्त निदेशक,
रोजगार विभाग, जयपुर

राजस्थान सरकार
रोजगार सेवा निदेशालय
दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर

क्रमांकः प.7(15)ईएस / पीपीए / 2004 / 12369–643 दिनांकः 25–8–2007

समस्त पंजीकृत निजी रोजगार एजेन्सी, राजस्थान।

परिपत्र

रोजगार विभाग में पंजीकृत समस्त निजी रोजगार एजेन्सियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके माध्यम से रोजगार प्राप्त करने वाले आशार्थियों का अधिकाधिक हित रखने की द्रष्टि से यह व्यवस्था सुनिश्चित करें कि किसी भी नियोक्ता द्वारा जो उनके माध्यम से आशार्थी प्राप्त करते हैं राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादित न्यूनतम वेतन दिये जाने की जो व्यवस्था श्रम विभाग राजस्थान द्वारा निर्धारित की हुई है उसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन न किया जावे व रोजगार प्राप्त करने वाले आशार्थियो को न्यूनतम वेतन से कम का भुगतान न हो। इन निर्देशो की अनुपालना नही ंकरने पर नियमान्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

ह0 / –––
(हनुमन्त सिंह भाटी)
निदेशक

क्रमांकः प.7(15)ईएस / पीपीए / 06–07 / 12644–76 दिनांकः 25–8–2007

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर।

2– समस्त रोजगार कार्यालयध्यक्ष, राजस्थान।

ह0 / –––
निदेशक

राजस्थान सरकार
रोजगार सेवा निदेशालय
दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर

क्रमांकःप.7(15)ईएस/पीपीए/2006/ 8575–8606 दिनांकः 19–8–2006

समस्त रोजगार कार्यालयध्यक्ष, राजस्थान।

परिपत्र

इस निदेशालय के पत्र क्रमांकःप.7(15)ईएस/पीपीए/2004/19411–42 दिनांक 3–12–2004 द्वारा निजी रोजगार एजेन्सियों के पंजीयन एवं निरीक्षण करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये गये थे इसी अनुक्रम में निजी रोजगार एजेन्सियों के पंजीयन के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि पंजीयन हेतु आवेदन पत्र आपके कार्यालय में प्राप्त होने पर निजी रोजगार एजेन्सियो का पुलिस वैरीफिकेशन कराकर पंजीयन हेतु निदेशालय को अपनी अनुशंषा के साथ प्रेषित किया जाये।

उक्त निर्देशों की पालना कठोरता से की जाये।

ह0/–––
(अजय सिंह)
निदेशक